*हरित वित्त के प्रसार में चुनौतियां और अवसर**

एम राजेश्वर राव

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित इस बीएफएसआई इनसाइट शिखर सम्मेलन में सभी विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को नमस्कार। आज मैं, वर्चुअल रूप से ही सही, आपके बीच आकर बहुत खुश हूं। हाल के दिनों में वित्त संबंधी समकालीन मुद्दों पर बहस और विचार-विमर्श के लिए यह आयोजन एक सम्मानित मंच बन गया है और इसने पिछले सम्मेलनों में पधारे प्रतिष्ठित वक्ताओं के ज्ञान से उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

जब हम डेढ़ दशक पीछे मुड़कर देखते हैं तो वास्तव में चौंकाने वाली यह बात सामने आती है कि वित्तीय क्षेत्र कई वित्तीय तूफानों से घिरा हुआ था, जिसका उसने बहादुरी से सामना किया। प्रत्येक घटना के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि संस्थान मजबूत और अधिक लचीला बनें, ताकि बहाली और संवृद्धि के निरंतर लक्ष्य का समर्थन किया जा सके। हाल के दिनों में एक के बाद एक संकट, बहुत कम अंतराल पर आते जा रहे हैं जिससे संस्थानों को संभलने, अपनी खोई स्थिति को पुनः प्राप्त करने और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। उभरती हुई स्थिति की मांग है कि विनियामक और विनियमित संस्थाएं, दोनों उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें और अच्छी तरह से सुसज्जित रहें, चाहे वह फिनटेक का विकास हो, वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण हो, ग्राहक सेवा हो या वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां हों। लेकिन आज मैं जिस प्रमुख जोखिम पर चर्चा करना चाहता हूं वह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और वित्तीय सेवा उद्योग के लिए इसके मायने, है। एक तरह से मैं एक ऐसे विषय पर फिर से विचार रख रहा हूं जिस पर मैंने एक वर्ष पहले[1] बात की थी - जलवायु जोखिम और हरित वित्त। हालांकि, इस तरह की वित्तीय बैठकों में विचार-विमर्श के लिए यह मुद्दा अभी भी एक नया विषय हो सकता है, किंतु यह मुद्दा तेजी से महत्वपूर्ण बनता रहा है, जिस पर विश्व स्तर पर चर्चा की जा रही है, और स्थिति की तात्कालिकता सभी को समझ में आ रही है।

मिस्र में हाल ही में जारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी -27) सम्मेलन और अक्टूबर 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 'इमीशन गैप रिपोर्ट 2022 – दी क्लोज़िंग विंडो' ने एक बार फिर आवश्यक उपाय और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। कार्यों का क्रम और उन्हें किए जाने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं की पहचान हो रही है, और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से लेकर उत्पादन और खपत के लिए स्थायी कार्य पद्धति को बढ़ावा देने और एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी पर एक स्थायी जीवन शैली में परिवर्तित होने के तरीके पर अधिक सहमति भी बनी है। यह भी स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर मतभेदों के लिए कोई जगह नहीं है, केवल हमारे सामूहिक प्रयास ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान कर सकते हैं।

इतना कहने के बाद प्रश्न यह उठता है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न संस्थाओं की क्या भूमिका होगी? यद्यपि समग्र नीतिगत दृष्टिकोण सरकार के प्रयासों द्वारा निर्देशित होगा और वह सीओपी जैसे निर्णय लेने वाले निकायों द्वारा समन्वित किया जाएगा, फिर भी वित्तीय संस्थाओं को स्वयं से एक आसान सा सवाल पूछने की जरूरत है, कि वह कैसे मदद कर सकती हैं? वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में, केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं को उन उपायों या रणनीतियों का भी मूल्यांकन और जांच करने की आवश्यकता होगी जिनका लाभ उठाना जरूरी है या उन्हें अपने मौजूदा नीतिगत कर्तव्यों से समझौता किए बिना स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कुछ दुविधाएं हैं जिन्हें मैं आज अपनी टिप्पणी में उजागर करना चाहूंगा।

जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के व्यापक आर्थिक और वित्तीय प्रभावों की ओर विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों, केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित

---

* 22 दिसंबर 2022 को मुंबई में बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा वर्चुअल रूप से दी गई टिप्पणी। सुनील नायर, ब्रजराज और प्रदीप कुमार से सहयोग प्राप्त हुआ जो सराहनीय है।

[1] https://rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1127

[2] रिपोर्ट को https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022 पर देखा जा सकता है

हुआ है और वे एक स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने भी इस वर्ष की शुरुआत में जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त पर एक चर्चा पत्र[3] जारी किया था। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त पर एक सर्वेक्षण भी किया था। एक आम सहमति यह बनी है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण हेतु वित्तपोषण और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

हालांकि जलवायु जोखिमों से कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन भारत पर इसका विशेष असर हो सकता है क्योंकि भारत को जलवायु परिवर्तन को लेकर भौतिक जोखिम हैं, जैसे कि, लंबी तट रेखा होना, ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन की[4] उच्च हिस्सेदारी होना और ग्रामीण आजीविका की कृषि पर अपेक्षाकृत उच्च निर्भरता होना। इसे देखते हुए कार्रवाई[5] की तात्कालिकता के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। जलवायु प्रवृत्ति और घटनाओं का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय प्रणाली प्रभावित होती है। एक रिपोर्ट[6] के अनुसार, 2050 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैश्विक अर्थव्यवस्था का परिवर्तन सार्वभौमिक और महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए भौतिक परिसंपत्तियों पर वार्षिक औसत खर्च में $ 9.2 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, जो आज खर्च की जा रही राशि से $ 3.5 ट्रिलियन अधिक है। भारत के मामले में, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद[7] ने पहले ही अनुमान लगाया है कि 2070 तक हमारी निवल शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। यह निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमित होने के प्रयासों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए पर्याप्त वित्त और सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

इसके अलावा, दो प्रमुख पहलू हैं जिन पर बैंकों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी - पहला, राष्ट्रीय नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन कुशल क्षेत्रों और उद्योगों को वित्त प्रसारित करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करके वित्तीय मध्यस्थता में उनकी समय-परीक्षित विशेषज्ञता का उपयोग करना; और दूसरा, उनके बही-खातों में वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में सुधार करना जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह के जोखिम प्रतिकूल जलवायु से संबंधित घटनाओं से उत्पन्न प्रत्यक्ष भौतिक जोखिमों से लेकर प्रतिष्ठागत नुकसान और विधिक जोखिमों तक हो सकते हैं। जाहिर है, इन जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियों को एक ठोस सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों में शामिल किया जाना होगा और सभी हितधारकों को देश को जलवायु-समुत्थानशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद के लिए अपनी भूमिका निभानी होगी।

वित्तीय मध्यस्थों और बैंकों के लिए चुनौतियां

जलवायु से संबंधित घटनाओं का समय, बारंबारता और गंभीरता का अनुमान लगाना इस प्रक्रिया में शामिल अनिश्चितताओं को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यद्यपि जलवायु जोखिमों के मॉडलिंग के लिए परिदृश्यों और अग्रगामी दृष्टिकोणों को विकसित करने में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है, फिर भी पिछले डेटा की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण जलवायु घटनाओं और उनके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना एक चुनौती है। बहरहाल, आत्म-खोज के इस मार्ग पर काम करना जारी रखने और धीरे-धीरे गति प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हम अब निष्क्रिय होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर यह कार्य, जिसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा समन्वित किया जा रहा है, और जी-20 द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक चार मूलभूत तत्वों पर टिका हुआ

[3] भारतीय रिजर्व बैंक - प्रेस विज्ञप्ति (rbi.org.in)

[4] भौतिक जोखिम वे आर्थिक लागत और वित्तीय नुकसान हैं जो आगे उल्लिखित घटनाओं की बढ़ती गंभीरता और बारंबारिता से उत्पन्न होते हैं: चरम जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसम की घटनाएं (या चरम स्तर की मौसमी घटनाएं) जैसे कि ताप लहर, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और तूफान (अर्थात अत्युच्च भौतिक जोखिम); जलवायु के दीर्घकालिक क्रमिक बदलाव जैसे वर्षा में परिवर्तन, मौसम में चरम स्तर की परिवर्तनशीलता, समुद्र अम्लीकरण, और समुद्र तथा औसत तापमान का बढ़ता स्तर (अर्थात दीर्घकालिक भौतिक जोखिम या दीर्घावधि जोखिम); और जलवायु परिवर्तन के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का नुकसान (जैसे मरुस्थलीकरण, पानी की कमी, मिट्टी की गुणवत्ता या समुद्री पारिस्थितिकी का क्षरण)। (https://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf)

[5] ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिपोर्ट https://www.germanwatch.org/en/19777 पर उपलब्ध है

[6] https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring

[7] https://www.ceew.in/cef/solutions-factory/publications/investment-sizing-india-s-2070-net-zero-target

है। ये चार तत्व, प्रकटीकरण, डेटा, दुर्बलता विश्लेषण और विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी प्रथाएं तथा उपाय हैं जो मेरे विचार से सूचित निर्णय लेने द्वारा संवर्धित होने पर एक समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं। इन पहलुओं पर मैं और भी चर्चा करूंगा।

एक उपयुक्त और पर्याप्त प्रकटीकरण ढांचे में तीन प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए - पहला, उसमें अंतर-समय स्थिरता होनी चाहिए, दूसरा, वह तुलनीय होना चाहिए और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह निर्णय लेने के लिए उपयोगी होना चाहिए। फर्मों द्वारा जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण, जिसमें बड़े पैमाने पर ये विशेषताएं शामिल होंगी, नीति निर्माताओं को संक्रमण वित्त पोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में आगे के कार्य की विशालता को समझने में मदद करेंगे। इसके अलावा, इससे बैंकों को व्यावसायिक उद्यमों में कार्बन तीव्रता के स्तर को समझने में मदद मिलेगी, जिससे, यदि वे उन्हें वित्त पोषित करना चाहें, तो ऐसे जोखिमों की पहचान कर सकेंगे और उचित रूप से मूल्य में शामिल कर सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रकटीकरण पर अधिकांश कार्य कर लिया गया है। जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर एफएसबी टास्क फोर्स (टीसीएफडी) और आईएफआरएस फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) अन्य मानक निर्धारण निकायों के साथ इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं। मार्च 2022 में, आईएसएसबी ने अपने पहले दो प्रस्तावित मानकों पर एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रकाशित किए। पहला सामान्य स्थिरता से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जबकि दूसरा जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। बाजारों के वित्तपोषण की वैश्विक प्रकृति और पूंजी के सीमा पार प्रवाह को देखते हुए यह विचार किया जा रहा है कि एक सामान्य वैश्विक आधारभूत प्रकटीकरण आवश्यकता पर सहमति बने जो तुलनात्मकता और स्थिरता के लिए अधिकार-क्षेत्रों के बीच अंतर-संचालन योग्य हो। भारतीय रिज़र्व बैंक मानक निर्धारण निकायों के एक भागीदार के रूप में योगदान भी दे रहा है और वैश्विक चर्चाओं और अनुभवों से सीख भी रहा है। जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त पर हमारे हाल ही में प्रकाशित चर्चा पत्र में हमने विस्तार से बताया है कि कैसे जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण विनियमित संस्थाओं के विभिन्न हितधारकों (जैसे ग्राहक, जमाकर्ता, निवेशक और विनियामक) के लिए, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रासंगिक जोखिमों और ऐसे मुद्दों का निराकरण करने के लिए उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए, जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

कंपनियों के संबंध में सेबी ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 से, भारत में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के अनुसार) के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) को अनिवार्य कर दिया है। बीआरएसआर ढांचे के तहत खुलासे से हरित वित्तपोषण को प्रोत्साहन मिलेगा और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इन सूचीबद्ध कंपनियों में अपने जलवायु संबंधी जोखिम का आकलन करने में मदद मिलेगी।

सुसंगत और तुलनीय प्रकटीकरण, जो कि **पहला मूलभूत तत्व** है, एक ओर वित्तीय संस्थानों को फर्म स्तर का जोखिम आकलन करने में सक्षम करेगा, तो **दूसरा मूलभूत तत्व** अर्थात डेटा, जोखिमों के व्यापक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। किसी भी वित्तीय जोखिम की तरह, जलवायु जोखिम से संबंधित जोखिमों पर विश्वसनीय और व्यापक डेटा, जलवायु घटनाओं से होने वाले जोखिमों के आकलन के लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेप करने और जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण करने में सहायता करेगा। हालांकि, यह इतना आसान नहीं है। यद्यपि डेटा रिपॉजिटरी बनाने और बेहतर तुलनात्मकता के लिए डेटा संग्रह पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, फिर भी उच्च गुणवत्ता, सूक्ष्म और पर्याप्त डेटा की उपलब्धता अब तक एक चुनौती बनी हुई है। जलवायु घटनाओं की अग्रगामी प्रकृति का एक संगठित ढांचा बनाने और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी के लिए मैट्रिक्स विकसित करने के लिए सूक्ष्म डेटा की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

तीसरा मूलभूत तत्व, दुर्बलता विश्लेषण, पुन: जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वित्तीय स्थिरता जोखिमों और वित्तीय प्रणालियों पर उनके प्रभाव को समझने के लिए एक मैक्रो स्तर का अभ्यास है। यह वित्तीय प्रणाली में संभावित दबाव बिंदुओं के बेहतर मूल्यांकन में मदद करने और वित्तीय क्षेत्र और स्थावर संपदा क्षेत्र के बीच अंतर्संबंधों को समझने में मदद करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों का उपयोग करके विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर केंद्रित है। हालांकि जलवायु परिदृश्य विश्लेषण, तनाव परीक्षण परिदृश्य और विश्लेषणात्मक उपकरणों का विकास अभी भी अपनी

प्रारंभिक अवस्था में है, फिर भी उनके नियमित निगरानी कार्य और समग्र वित्तीय जोखिम मूल्यांकन के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता की अच्छी तरह से पहचान कर ली गई है। जलवायु से संबंधित जोखिमों के मॉडलिंग में एक विशेष चुनौती उसमें लगने वाले दीर्घ समय से संबंधित है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जलवायु की घटनाएं, अगर सदियों में नहीं, तो अक्सर दशकों में हो सकती हैं, जिसके कारण डेटा संग्रहण कार्य काफी कठिन हो सकता है और परिणाम अधिक अनिश्चित हो सकते हैं।

चौथे और अंतिम मूलभूत तत्व में ऐसी पहलें शामिल हैं जो परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामकों और पर्यवेक्षकों द्वारा की जा रही हैं या नियोजित की जा रही हैं। एक तरह से, यह ऊपर उल्लिखित तीन मूलभूत तत्वों के तहत किए गए कार्य की परिणति है। विनियामकों को विनियामकीय ढांचे में जलवायु जोखिमों को एकीकृत करने के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण नीतियों को बेहतर करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही जलवायु से संबंधित जोखिमों के बारे में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से अपेक्षाओं को निश्चित करके तथा साथ में संगठनात्मक रणनीति, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आश्वासन कार्य शामिल करते हुए, सभी विनियमित संस्थाओं को उसकी जानकारी देनी होगी। अब तक किए गए वैश्विक प्रयासों से लगता है कि जलवायु से संबंधित जोखिमों को एकीकृत करना और मौजूदा विवेकपूर्ण ढांचे को ठीक करके उन्हें प्राप्त करना संभव हो सकता है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने जून 2022 में जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत प्रकाशित किए हैं। अक्टूबर 2022 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने जलवायु से संबंधित जोखिमों के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक दृष्टिकोण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे पहले मार्च 2022 में एनजीएफएस ने 'स्टेटमेंट ऑन नेचर रिलेटेड फ़ाइनेंसियल रिस्क' प्रकाशित किया, जो स्वीकार करता है कि प्रकृति से संबंधित जोखिमों पर विचार न करने, उसका समाधान न करने और अनुकूलन न करने से महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं और वे वित्तीय स्थिरता जोखिम का स्रोत बन सकते हैं। यद्यपि मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है, विनियमित संस्थाओं को अपने निर्णय ढांचे और ग्राहक संपर्क वाले व्यावसायिक माध्यमों में जलवायु से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए समय संसाधन और क्षमता की आवश्यकता पड़ सकती है।

निजी क्षेत्र की पहल

निजी क्षेत्र में विकार्बनीकरण और डिजिटलीकरण की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है जिससे ऐसे कार्य क्षेत्रों और कंपनियों को अपने पारंपरिक व्यापार पद्धति में संरचनात्मक और आधारभूत परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। यह खुशी की बात है कि स्टील और सीमेंट[8] जैसे क्षेत्रों में कुछ अग्रणी भारतीय कंपनियां, उनके लिए यह कठिन होते हुए भी, अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन पदचिह्न को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी विकार्बनीकरण ध्येय पर पर काम कर रही हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शाश्वतता-केंद्रित वित्तपोषण और अन्य सहायता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाना पड़ सकता है ताकि उन्हें अपने स्वयं के कार्बन पदचिह्न को कम करते हुए कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने मदद मिल सके। वित्तीय क्षेत्र व्यवसायों को उपयुक्त और अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करके हरित परियोजनाओं / व्यवसायों की ओर संसाधनों के उपयोग के लिए दिशा दे सकता है।

पिछले तीन वर्षों में, सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन (एसएलबी और एसएलएल) बाजार शाश्वत वित्त बाजार[9] में विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय खंड रहा है। भारत में भी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन जैसे शाश्वत वित्त लिखतों की शुरुआत हुई है। उदारीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों के कारण भारतीय कंपनियों को ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड के माध्यम से अपतटीय वित्त जुटाने में सुविधा हुई है। वैश्विक रुझानों के अनुरूप, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान भारत में शाश्वत ऋण जारी करने में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे यह

[8] इस्पात और सीमेंट क्षेत्र ऊर्जा और उत्सर्जन गहन हैं। उनमें परिवर्तन लाना कठिन हैं, अर्थात, इन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए इन सामग्रियों के उत्पादन, उपयोग और पुनर्नवीनीकरण के तरीके में उच्च स्तर के प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।

[9] https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2022/july/global-sustainable-bond-market-raises-442-billion

संचयी रूप से ग्रीन बॉन्ड जारी[10] करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मिश्रित वित्त[11] और जोखिम-साझाकरण सुविधाओं जैसे तंत्रों का भी उपयोग जलवायु और सस्टेनेबिलिटी से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है।

भारत और दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्र की उपर्युक्त पहलों से यह विश्वास होता है कि निजी क्षेत्र हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति बहुत सजग है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पहल

पूर्ण शून्य की ओर पहुंचने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का धीरे-धीरे विकार्बनीकरण करना होगा, जिसमें कठिन क्षेत्र भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि हमें बैंकों को उन व्यवसायों और क्षेत्रों के लिए संक्रमण वित्त के संदर्भ में सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी जो इतने हरित नहीं हैं। यह सहायता उन्हें स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और समय के साथ हरित बनने के लिए देनी होगी। हरित वित्त भारत की अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुत्थानशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नवंबर 2021 में सीओपी26 शिखर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्ष 2070 तक भारत पूर्ण शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके लिए हरित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता होगी।

भारत में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, दोनों जलवायु जोखिमों पर वैश्विक चर्चाओं में भाग ले रहे हैं और इस संबंध में पहले से ही कुछ कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि जलवायु संबंधी कदम एक प्रमुख प्राथमिकता होगी और प्रस्ताव किया कि 2022-23 में अपने समग्र बाजार उधार के एक हिस्से के रूप में हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीबी) जारी किए जाएंगे। प्राप्त निधि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी। यह किसी भी तरह से छोटा कदम नहीं है। समय के साथ, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारत में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए ईएसजी से जुड़े ऋण के लिए भारतीय रुपए में उनके उधार के लिए मूल्य निर्धारण संदर्भ प्रदान करेंगे। इस प्रकार, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने से एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी जिससे हरित परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं में पूंजी के अधिक प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

इस क्षेत्र में ठोस प्रयासों की आवश्यकता को महसूस करते हुए रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में अपने विनियमन विभाग के भीतर एक शाश्वत वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की है ताकि भारतीय संदर्भ में जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त के क्षेत्र में विनियामकीय पहल का नेतृत्व किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें हितधारकों की टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर कई मुद्दों को शामिल किया गया था। यह उल्लेख करना खुशी की बात है कि हमें बड़ी संख्या में विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां मिली हैं। जलवायु जोखिम और शाश्वत वित्त पर कोई विनियामक मार्गदर्शन तैयार करने से पहले इनकी सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है।

चर्चा पत्र के साथ हमने जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिम के प्रबंधन के लिए भारत में अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दृष्टिकोण और उनकी तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करने के लिए किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम भी जारी किए थे। सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों, निजी क्षेत्र के 16 बैंकों और 6 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण ने उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान की है और इस अभ्यास से प्राप्त प्रतिसूचनाएं हमारे विनियामकीय और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करेंगी।

हमारे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि एक ओर जहां बाकी दुनिया अभी भी हरित और सस्टेनेबल कंपनियों और परियोजनाओं को वित्त

[10] स्रोत: आईएफसी द्वारा प्रकाशित इमर्जिंग मार्केट्स ग्रीन बॉन्ड रिपोर्ट 2021, जून 2022। रिपोर्ट को https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/financial+institutions/resources/emerging+market+green+bonds+report+2021 पर देखा जा सकता है

[11] मिश्रित वित्त में शाश्वत परिणामों के साथ परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए रियायती और सहायक पूंजी का उपयोग शामिल है, और साथ ही जोखिम को कम करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण और संस्थागत समर्थन के साथ सहायता करना भी शामिल है।

पोषित करने के लिए नए साधनों को विकसित करने में जूझ रही है, तो दूसरी ओर हमारे पास पहले से ही ऐसी परियोजनाओं को उधार देने को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) मानदंडों के रूप में एक बेहतर स्वीकृत प्रोत्साहन-आधारित साधन है। वर्षों से हम इस मार्ग के माध्यम से हरित वित्त पहल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। 2012 में रिज़र्व बैंक ने परिवारों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर और अन्य ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा समाधान स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा सीधे व्यक्तियों को स्वीकृत ऋणों को शामिल किया और 2015 में, पीएसएल मानदंड को सौर / बायो-मास आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्कियों, सूक्ष्म-हाइडल संयंत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं, अर्थात्, सड़क प्रकाश प्रणाली, और दूरस्थ गांव विद्युतीकरण उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं को ₹ 15 करोड़ की सीमा तक बैंक ऋण विस्तारित किया गया। 2020 में बैंक ऋण के लिए इस सीमा को दोगुना कर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह खुशी की बात है कि हाल के वर्षों में भारत के प्रमुख बैंकों ने भी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है।

भारत में हरित वित्त बढ़ाने के लिए सहायक घटक

भारत के आर्थिक विकास में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे-जैसे देश शाश्वत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आगे रहते हुए हरित ऋण में तेजी लानी होगी। इस तेजी को लाने के लिए ऋण देने के पारंपरिक तरीकों में कई संरचनात्मक बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें परियोजनाओं की हरित गुण विशेषताओं का मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल है। हरित वित्त को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मानव संसाधन और क्षमता निर्माण प्रयासों में निवेश करना होगा और साथ ही पर्यावरण और सामाजिक जोखिम संबंधी मुद्दों को अपने कॉर्पोरेट ऋण मूल्यांकन तंत्र में शामिल करना होगा।

हरित वित्त की टैक्सोनॉमी[12] सहित औपचारिक परिभाषा समय की मांग है क्योंकि यह भारत में हरित क्षेत्रों में वित्त प्रवाह की अधिक सटीक निगरानी करने में सहायक होगा, जिससे, परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी निवेश, दोनों को बढ़ाने के लिए प्रभावी नीति, विनियमों और संस्थागत तंत्रों की रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी। टैक्सोनॉमी से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु जोखिम का बेहतर आकलन करने, हरित और शाश्वत वित्त को बढ़ाने और ग्रीनवाशिंग के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

हरित वित्त को बढ़ाने में एक और महत्वपूर्ण चुनौती तीसरे पक्ष के सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता और व्यवसायों और परियोजनाओं की गुण विशेषताएं है। इससे संभावित ग्रीनवाशिंग चिंताओं का भी समाधान होगा और संस्थाओं को पूंजी और वित्त पोषण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा।

डेटा की उपलब्धता और प्रकटीकरण संबंधी चुनौती पर भी शीघ्रतापूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण मानक एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे विश्वास है कि सूचीबद्ध संस्थाएं न केवल अनिवार्य प्रकटीकरण का पालन करेंगी, बल्कि उन प्रकटीकरणों का पालन करने में भी संकोच नहीं करेंगी जो अतिरिक्त प्रकृति के और स्वैच्छिक हैं।

अगस्त 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सूचित किए गएअद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत के जल वायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरित वित्त को तेजी से बढ़ाया जाना जरूरी है। बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा को देखते हुए हरित वित्त को बहुत तेज गति से जुटाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हरित वित्त को बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय बॉन्ड बाजार में मांग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अंतत:, इन सभी विचारों को तभी लागू और बनाए रखा जा सकता है जब सभी हितधारकों के इस संबंध में इरादे स्पष्ट हों।

निष्कर्ष टिप्पणी

संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भौतिक और संक्रमण जोखिम हो सकते हैं जो व्यक्तिगत विनियमित संस्थाओं की भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ वित्तीय

[12] टैक्सॉनोमी एक वर्गीकरण प्रणाली है, जो पर्यावरणीय रूप से शाश्वत आर्थिक गतिविधियों की एक सूची स्थापित करती है। यह अर्थव्यवस्था को शाश्वत निवेश बढ़ाने में मदद के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी हितधारकों को उन आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त परिभाषाएं प्रदान करती है जिन्हें पर्यावरणीय रूप से शाश्वत माना जा सकता है।

प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। अत:, विनियमित संस्थाओं को अपनी व्यावसायिक रणनीति और संचालन में जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के संभावित प्रभाव को समझने और आकलन करने के लिए व्यापक ढांचे को विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

हमें इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है कि जलवायु जोखिम हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसका निर्णायक रूप से निराकरण करना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। वित्तीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो व्यवसायों को वित्त पोषित करता है और उनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अपनी रणनीतियों को अधिक शाश्वत और पृथ्वी अनुकूल बनाने के अपने प्रयासों के साथ-साथ व्यवसायों को मदद करने और फर्मों के लिए आवश्यक संक्रमण वित्त की व्यवस्था करने में बैंकों की भूमिका विशिष्ट होगी। केंद्रीय बैंक उचित मार्गदर्शन और विनियमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से उभरने वाले जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों से वित्तीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया को समेकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे चरण में है जहां हमें तेजी से विकास करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे सामने चुनौती वाणिज्यिक ऋण और निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम और ईएसजी से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के तरीकों के बारे में सोचने की है, और साथ ही साथ ऋण विस्तार, आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास की जरूरतों को संतुलित करने की है। सामूहिक प्रयास हमारी प्रगति को जल्दी आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा।

अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इन बिंदुओं को इस कार्यक्रम में आगामी चर्चाओं के दौरान विचार-विमर्श के लिए छोड़ता हूं।

इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने, अपने विचारों को साझा करने तथा धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।